2017/00369

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री राम पारीक निवासी गणेश मंदिर, सारण पेट्रोल पम्प के पिछे, वैद्य मधाराम कॉलोनी, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी,छतरगढ़ जिला बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 208/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.17	**: निर्णय :** 1. उभयपक्ष हाजिर नहीं। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 27.05.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ ने जवाब पत्रांक 1749 दिनांक 19.9.17 में अंकित किया है कि उपखण्ड कार्यालय में भू–दान आवटियों की सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 1745–46 दिनांक 19.9.17 से अपीलार्थी/प्रार्थी का आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत तहसीलदार (राजस्व), छतरगढ व अध्यक्ष भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर को हस्तानान्तरित किया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी/प्रार्थी को भी प्रेषित की जाचुकी है। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समयावधि में संबंधित कार्यालयों को हस्तानान्तरित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी, जिसमें विलम्ब हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाना हम न्यायोचित पाते है। 5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारीएवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर आवेदक/अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवावें। 6. निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official